रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938
No. 753] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

का.आ. 839(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3104 (अ) तारीख 17 नवम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित करते हुए, एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य जिला रुपनगर, पंजाब में अवस्थित है और अक्षांश 31^0 16'उ. और देशांतर 76^0 31' 5'पू. के बीच स्थित होते हुए 1.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, वनस्पति और जीवजन्तु इस अभयारण्य विपुल जैवीय महत्व का द्योतक है। जिसमें मुख्य प्रजातियां सांबर (*रूसा यूनिकोलोर*) (केरर,1972), मुंजक (*मुन्टिएक्स मुन्तजक*) (जिममेरमांन, 1780), अजगर (*पायथन स्पा*), कोबरा (*नाजा नाजा*) (लिंनाएउस, 1758), स्पेकटेलक्ड कोबरा (*नाजा ओक्सिजेन*) (ऐचवाल्ड,1831), लाल जंगली मुर्गी (*गैलस गैलस*) (लिंनाएउस,1758) और अन्य प्रजातियां हैं;

और, झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य के इर्द गिर्द संरक्षित क्षेत्र को, पारिस्थितिक पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और

उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य के इर्द गिर्द सीमा से 100 मीटर तक विस्तार सहित 0.65 वर्ग किलोमीटर का होगा । सीमा के ब्यौरे और अक्षांश तथा देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध- I** के रूप में उपाबद्ध है। झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा जी.पी.एस. निर्देशांकों के बिन्दुओं के साथ **उपाबंध II** में दिए गए हैं ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध – III** में दी गई है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ अधिसूचना से संलग्न अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस रीति में जो, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप है द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा मानीटरी करने के अपने कार्यों क्रियान्वित करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रों में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा। मानचित्रों के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के से और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 7 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि को संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि वनरोपण और आवास पुनरुद्धार वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए योजनाए सम्मिलित होंगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्यमान सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या पर्यटन क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिमार्ण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों और अन्य नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा योजना आंचलिक महायोजना को भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य और ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण –** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक और विनियम कार्यान्वित करेगा । यदि आवश्यक हो, पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक ओर अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(v) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** यातायात की यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में विनिर्दिष्ट उपबंध आंचलिक महायोजना में समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पर या उसके पश्चात, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रवर्गीकरण के द्वारा केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(13) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा :

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या उच्च डिग्री वाले ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(14). केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार यह वह आवश्यक समक्षे, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में, अन्य उपायों को निर्दिष्ट करेगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए जमीन खुदाई भी है और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों या ईंटों के निर्माण और अन्य क्रियाकलापों के लिए तुरन्त

		प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएंगी ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना या उनके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में के रुप में प्रवर्गीकृत हरित या श्वेत उद्योगों को विनियमों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।
(5)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(9)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा-लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
(10)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं,

		से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
(11)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित(अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(12)	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(13)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(14)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(17)	प्रवासी चरवाहों।	आंचलिक महायोजना के लागू विधियों के अधीन और उनके अनुसार विनियमित होंगे।
(18)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसरचनाएँ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल डालने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(21)	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित होंगे।
(22)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित होंगे।
(23)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वन्यजीव के निर्बाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों अपनी परिसंपत्तियों में कांटेदार बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस अनुबंध का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
(24)	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	भू-जल संचयन भी है वाणिज्यिक का उपयोग।	
(26)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक यानों के लिए विनियमित होंगे।
(27)	प्रवासी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए तब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
(30)	पारिस्थितिक-अनुकूलतम पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाए जा रहे कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(33)	सतह और भूमिगत जल की वाणिज्यिक निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(34)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित होंगे और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को कड़ाई से मानीटर किया जाएगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(35)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(36)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(38)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(39)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	संक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(42)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(43)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(44)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति:

केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के प्रभावी उपबंधों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-
-

(i)	कलेक्टर, रुपनगर, पंजाब	-अध्यक्ष ;
(ii)	पंजाब सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजाब राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(v)	रेंज अधिकारी (वन्यजीव),रूपनगर	-सदस्य;
(vi)	उप पुलिस अधीक्षक, रूपनगर	-सदस्य;
(vii)	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नूरपुर बेदी	-सदस्य;
(viii)	जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक	-सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन- (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या सबध पार्क भार साधक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में दिए गए विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा0सं0 25/130/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अक्षांश और देशांतर के साथ झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

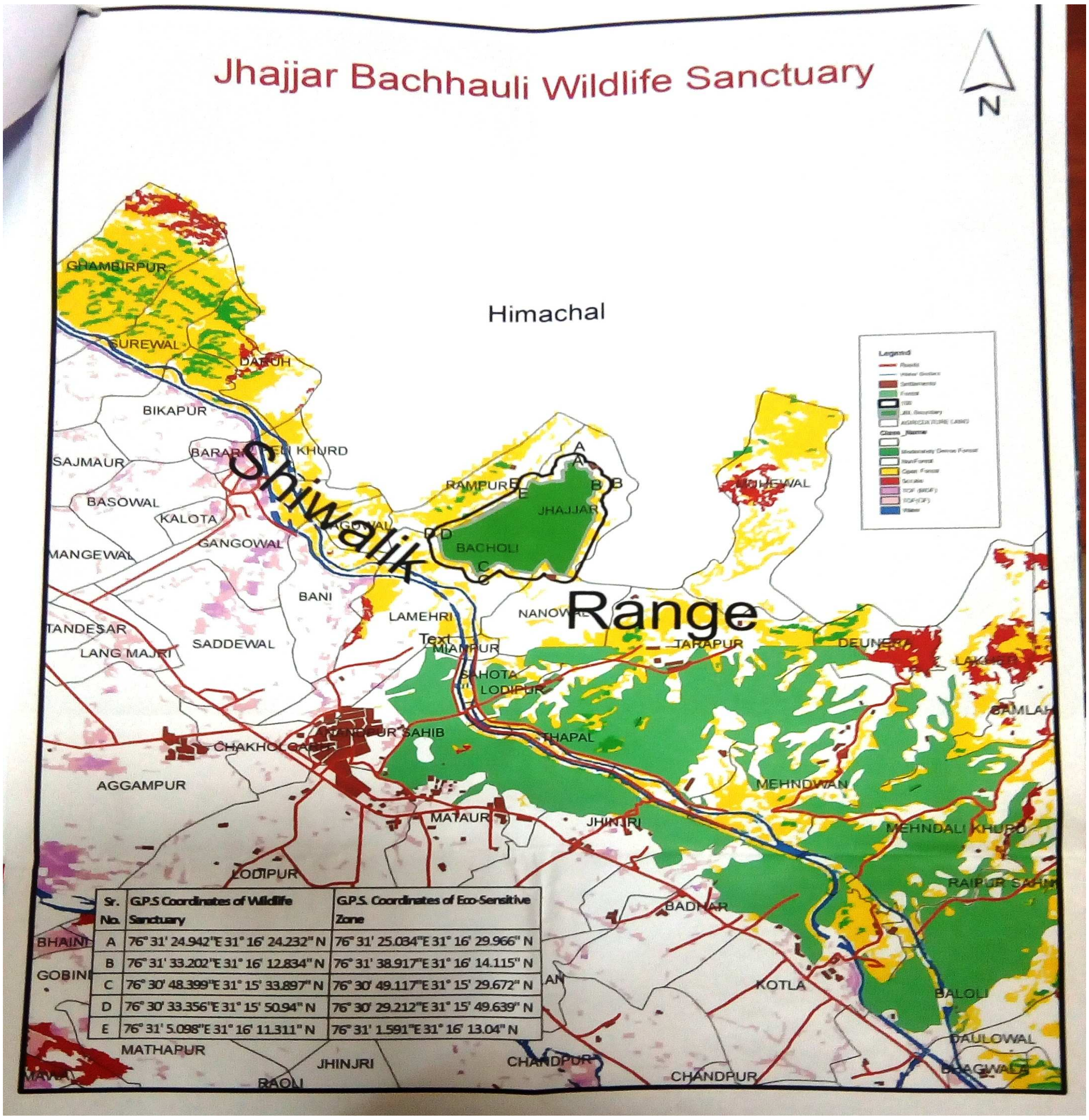

Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
A	76° 31' 24.942"E 31° 16' 24.232" N	76° 31' 25.034"E 31° 16' 29.966" N
B	76° 31' 33.202"E 31° 16' 12.834" N	76° 31' 38.917"E 31° 16' 14.115" N
C	76° 30' 48.399"E 31° 15' 33.897" N	76° 30' 49.117"E 31° 15' 29.672" N
D	76° 30' 33.356"E 31° 15' 50.94" N	76° 30' 29.212"E 31° 15' 49.639" N
E	76° 31' 5.098"E 31° 16' 11.311" N	76° 31' 1.591"E 31° 16' 13.04" N

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य और झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं विवरण

बिंदु.सं	झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक	वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक
ए	760 31’ 24.942”पू 31016’ 24.232” उ	760 31’ 25.034” पू 31016’ 29.966” उ
बी	76031’33.202” पू 310 16’ 12.834” उ	76031’38.917” पू 310 16’ 14.115” उ
सी	76030’48.399”पू 310 15’ 33.897”उ	76030’49.117”पू 310 15’ 29.672”उ
डी	76030’33.356”पू 31o15’ 50.94”उ	76030’29.212”पू 31o15’ 49.639”उ
ई	760 31’ 5.098”पू 31016’ 11.311”उ	76031’ 1.591”पू 31016’ 13.04”उ

उपाबंध III

झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	झज्जर	31^{0}15’53”उ	76^{0}31’36”पू
2.	रामपुर	31^{0}16’10” उ	76^{0}31’02” पू
3.	लामलेहरी	31^{0}15’32” उ	76^{0}30’48” पू
4.	बाचौली	31^{0}15’37” उ	76^{0}30’58” पू
5.	नानोवाल	31^{0}15’28” उ	76^{0}31’28” पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2017

S.O. 839(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3104(E), dated 17th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, no comments/ objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

Whereas, the Jhajjar- Bachauli Wildlife Sanctuary located in Rupnagar District, Punjab and lying between Latitude 31º16’N and Longitude 76º31.5’E is spread over an area of 1.16 square kilometers.

And Whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The key species are Sambar (*Rusa unicolor*) (Kerr, 1972), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*) (Zimmermann, 1780), Python (*Python sp.*), Cobra (Naja naja) (Linnaeus, 1758), Spectacled Cobra (*Naja oxiana*) (Eichwald, 1831), Red Jungle Fowl (*Gallus gallus*) (Linnaeus, 1758) and others species.

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Jhajjar-Bachauli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 100 meters around the boundary of Jhajjar- Bachauli Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as the Jhajjar- Bachauli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 0.65 square kilometers with an extent upto 100 meters around the boundary of Jhajjar-Bachauli Wildlife Sanctuary. The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-I. The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Jhajjar- Bachauli Wildlife Sanctuary are given at Annexure-II.

The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given at Annexure-III.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provide also that efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritage shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder. If required, standards may be made more stringent for protection of environment.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vemiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(v) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within Eco-sensitive Zone vide Central Pollution Board’s categorisation.

(13) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(14) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining.	((a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon’ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.

2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Establishment or expansion of industries causing water or air or soil or noise pollution shall not be permitted in the Eco-sensitive zone. Industries categorized as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries will be permitted as per regulations.
5.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

11.	Use of plastic bags.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites and other tourism activities.	Regulated under applicable laws.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
24.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water Harvesting.	Regulated under applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial vehicles under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.

28.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
30.	Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
31.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
33.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
34.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
Promoted Activities		
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
40.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
41.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Environnemental awareness.	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
44.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification for Jhajjar Bachauli Wildlife Sanctuary:

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

i) Collector, Rupnagar, Punjab - Chairman

ii) An expert in the area of ecology and environment - Member

to be nominated by the Government of Punjab for a period of three years.

ii)	One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of three years.	-	Member
iv)	Regional Officer, Punjab Pollution Control Board	-	Member
v)	Range Officer (WL) Rupnagar	-	Member
vi)	Dy. Suptd. of Police, Rupnagar	-	Member
vii)	Senior Vetrinary Officer, Nurpur Bedi	-	Member
viii)	Member Biodiversity Board	-	Member;
ix)	Deputy Conservator of Forest	-	Member-Secretary

6. Terms of Reference.- (1) The tenure of the Committee shall be three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India of Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/130/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JHAJJAR-BACHAULI WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

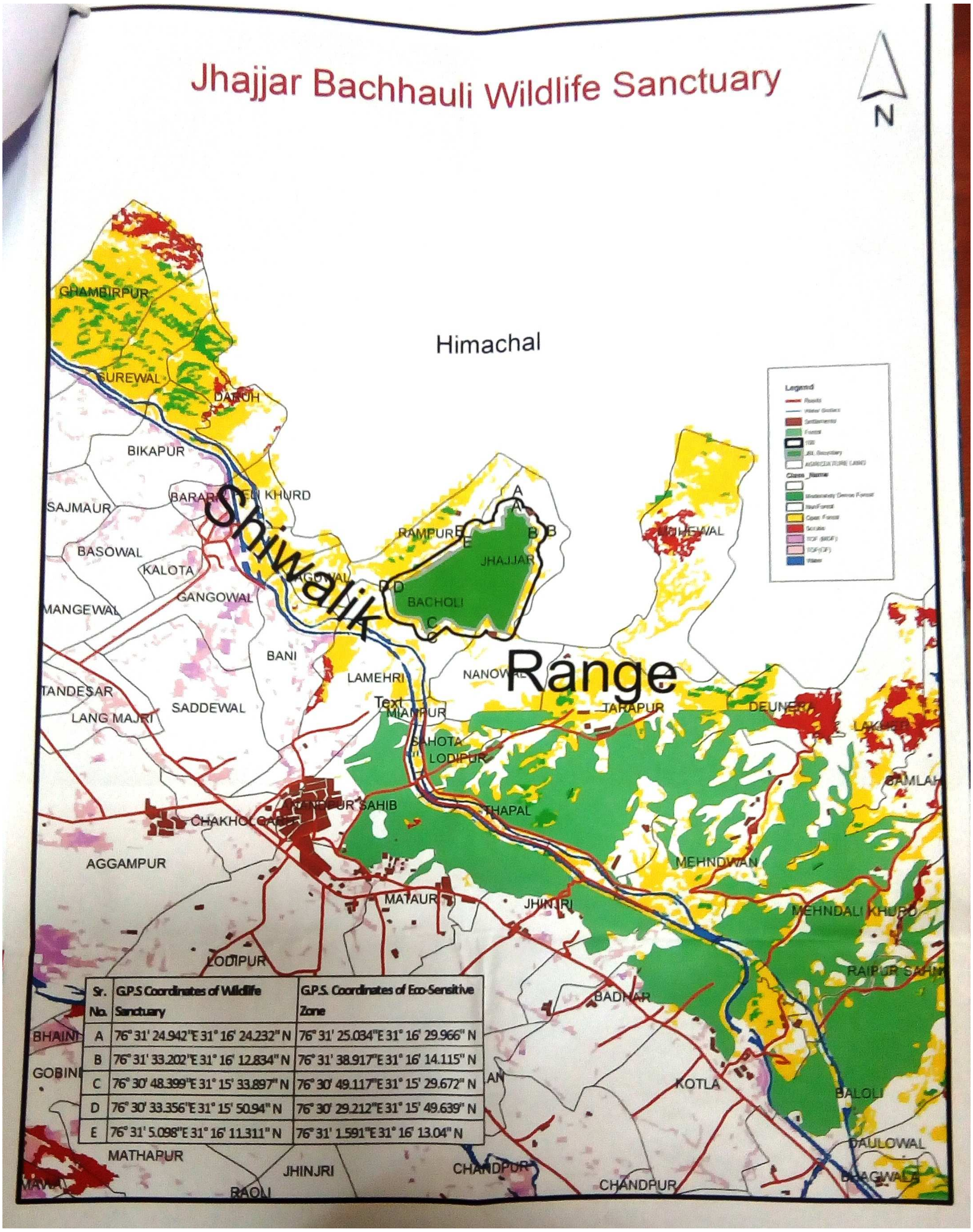

Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
A	76° 31' 24.942"E 31° 16' 24.232" N	76° 31' 25.034"E 31° 16' 29.966" N
B	76° 31' 33.202"E 31° 16' 12.834" N	76° 31' 38.917"E 31° 16' 14.115" N
C	76° 30' 48.399"E 31° 15' 33.897" N	76° 30' 49.117"E 31° 15' 29.672" N
D	76° 30' 33.356"E 31° 15' 50.94" N	76° 30' 29.212"E 31° 15' 49.639" N
E	76° 31' 5.098"E 31° 16' 11.311" N	76° 31' 1.591"E 31° 16' 13.04" N

ANNEXURE-II

BOUNDARIES DESCRIPTION OF JHAJJAR- BACHAULI WLS AND ECO SENSITIVE ZONE OF WLS

Point No	GPS Coordinates of Jhajjar Bachauli Wildlife Sanctuary	GPS Coordinates of Eco-Sensitive Zone of WLS
A.	**76o 31’ 24.942”E 31o16’ 24.232” N**	**76o 31’ 25.034”E 31o16’ 29.966” N**
B.	**76031’33.202”E 310 16’ 12.834”N**	**76031’38.917”E 310 16’ 14.115”N**
C.	**76030’48.399”E 310 15’ 33.897”N**	**76030’49.117”E 310 15’ 29.672”N**
D.	**76030’33.356”E 31o15’ 50.94”N**	**76030’29.212”E 31o15’ 49.639”N**
E.	**760 31’ 5.098”E 31016’ 11.311” N**	**76031’ 1.591”E 31016’ 13.04” N**

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGE FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF JHAJJAR-BACHAULI WILDLIFE SANCTUARY

Sl.No	Name of Village	Latitude	Longitude
1.	Jhajjar	$31^0$15’53”N	$76^0$31’36”E
2.	Rampur	$31^0$16’10”N	$76^0$31’02”E
3.	Lamlehri	$31^0$15’32”N	$76^0$30’48”E
4.	Bachauli	$31^0$15’37”N	$76^0$30’58”E
5.	Nanowal	$31^0$15’28”N	$76^0$31’28”E

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); Details may be attached as Annexure;
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;
   Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;
   Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.17 22:51:33 +05'30'